भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 7/31/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 5 मार्च, 2026

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्या एडी (एसएसआर)-15/2025

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स" के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 7/31/2025-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) से आयातित 'कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स' (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि पहले नहीं हटाया जाए, तो लगाए जाने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसी के अनुरूप, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पूर्ववर्ती जांच की पृष्ठभूमि

3. मूल पाटनरोधी जांच अधिसूचना संख्या 6/8/2020-डीजीटीआर दिनांक 9 मई 2020 के माध्यम से प्रारंभ की गई थी। तत्पश्चात प्राधिकारी ने अंतिम जॉच परिणाम दिनांक 8 जून 2021 की अधिसूचना संख्या 6/8/2020-डीजीटीआर के माध्यम से अधिसूचित किए, जिनके आधार पर अधिसूचना संख्या 47/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 अगस्त 2021 द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

4. इसके पश्चात परिस्थितियों में परिवर्तन एवं शुल्क वृद्धि की आवश्यकता का दावा करते हुए आवेदक द्वारा दायर आवेदन के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/17/2022-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2022 के माध्यम से एक मध्यावधि समीक्षा जांच की शुरूआत की। प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, अंतिम जॉच परिणाम सं. 7/17/2022-डीजीटीआर दिनांक 27 सितंबर 2023 के माध्यम से शुल्क में वृद्धि करने की सिफारिश की। तत्पश्चात वित्त मंत्रालय ने मूल अधिसूचना संख्या 13/2023-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 नवंबर 2023 के माध्यम से पाटनरोधी उपायों में संशोधन को लागू किया।

5. पूर्वोक्त पाटनरोधी शुल्क 27 अगस्त 2026 तक प्रभावी है। अतः वर्तमान आवेदन मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जॉच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जॉच की शुरूआत करने के लिए दायर किया गया है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित किया गया था, जो निम्नानुसार है:

> *"7. वर्तमान जॉच में विचाराधीन उत्पाद कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर नेचुरल माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट्स" है।*
>
> *8. विचाराधीन उत्पाद रासायनिक रूप से टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड से लेपित माइकेनियस तथा चमकीला पर्लेसेंट पिगमेंट है, जिसे वाणिज्यिक रुप से बाजार में टाइटेनियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कोटेड माइका पर्ल पिगमेंट या पर्ल लस्टर पिगमेंट्स या पर्ल पिगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। यह रंग प्रदान करने और अन्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कुछ अकार्बनिक पिगमेंट/रंगकारी पदार्थ जो चमकदार/शाइनी या फ्रॉस्टेड प्रभाव देते हैं, उदाहरणस्वरूप पर्लेसेंट प्रभाव, धात्विक प्रभाव आदि, जो कोटिंग, स्याही और प्लास्टिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं।"*

7. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 32 के अंतर्गत उपशीर्ष 320611 में किया जाता है। मध्यावधि समीक्षा में यह पाया गया कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद भी विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य एचएसएन कोडों के अंतर्गत आयात किया जा रहा था। अतः शुल्क को एचएस कोड 3206 49 90, 3206 19 00, 3204 17 59, 3204 17 39, 3204 17 20, 3204 17 90 तथा 3207 10 40 पर भी विस्तारित किया गया। वर्तमान जांच में भी इन्हीं कोडों पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक द्वारा निम्नलिखित पीसीएन पद्धति प्रस्तावित की गई है:

पिगमेंट का प्रकार	एन - नेचुरल माइका पिगमेंट
अनुप्रयोग	ए - आटोमोटिव एन - गैर-आटोमोटिव

रंग	एस - सिल्वर जी - गोल्ड आई - इरीडिसेंट ई - अर्थ टोन्स (ब्रांज/कॉपर/मैरुन) ओ - अन्य
पार्टिकल आकार (डी50)	ए - सुपर फाइन (15 से कम) बी - फाइन (15-20) सी - मीडियम (20.1-30) डी - लार्ज (30.1-50) ई - वेरी लार्ज (50 से अधिक)

9. संबद्ध जॉच में हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

10. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तथा दोनों समान वस्तुएँ हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबंधित देश से आयातित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं, अतः नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। समान वस्तु के मुद्दे की प्राधिकारी द्वारा मूल जांच तथा मध्यावधि समीक्षा जांच में पहले ही जॉच की जा चुकी है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु, संबंधित देश में उत्पादित एवं वहाँ से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

11. यह आवेदन मेसर्स सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक द्वारा चीन से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया गया है। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा कुल उत्पादन और कुल आयातों की दृष्टि से काफी कम है।

12. प्रदत्त सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में 'घरेलू उद्योग' है तथा आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

13. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के लिए संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

च. जांच की अवधि

14. आवेदक ने जांच की अवधि 01 अक्टूबर 2024 से 31 सितंबर 2025 तक प्रस्तावित की थी। प्राधिकारी ने जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि को स्वीकार किया है। क्षति जांच अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच अवधि शामिल होगी।

छ. कथित पाटन का आधार

सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है और यह दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए तथा चीन जन गण के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन गण के उत्पादक यह सिद्ध नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

16. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से लागत एवं कीमत से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूँकि बड़ी संख्या में पीसीएन शामिल हैं, इसलिए निर्यात आँकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अतः आवेदक ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर भारत में देय कीमत को सामान्य मूल्य के रूप में प्रस्तावित किया है। जॉच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर, भारत में एसजीए व्यय तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत समायोजन करते हुए किया गया है।

17. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें तथा विधिवत साक्ष्यांकित दावे करें।

निर्यात कीमत

18. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों में यथा सूचित सीआईएफ कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय, हैंडलिंग व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत तथा मालसूची वहन लागत आदि के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है। प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में निरंतर पाटन किया जा रहा है।

ज. <u>क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना एवं कारणात्मक संबंध</u>

20. आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही लगातार क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती एवं

कीमत ह्रास ने घरेलू उद्योग को पूर्ण लागत की वसूली तथा उचित आय अर्जित करने से रोका है। आवेदकों को वित्तीय हानि, नकद लाभ में भारी गिरावट तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि वर्तमान जांच में आगे और क्षति की संभावना है और अधिशेष क्षमता, क्षमता विस्तार, आयातों के संभावित ह्रासकारी प्रभाव आदि के संबंध में अन्य जानकारी प्रस्तुत की है।

21. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी से *प्रथम दृष्टया* यह पता चलता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं तो संबंधित देश से पाटन के जारी रहने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना बनी रहेगी।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

22. आवेदक के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन तथा आवेदन द्वारा पाटन एवं क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर वर्तमान में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा तथा यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्कों की समाप्ति पर पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, इस निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

ञ. प्रक्रिया

23. वर्तमान जांच में नियमावली के नियम 6 में यथा विहित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित

मामला आईडी- एडी/एसएसआर/28112025/01 के अंतर्गत अपलोड की जाएँगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित ढ़ग और प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जॉच शुरूआत अधिसूचना और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित ढ़ग और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

ठ. <u>समय-सीमा</u>

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी एडी/एसएसआर/28112025/01 के

अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जॉच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों की अवधि, इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में उपर्युक्त उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी उत्तरवर्ती सूचना के माध्यम से पीयूसी तथा पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं, जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो जॉच शुरूआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी तथा पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहाँ जाँच प्रारंभ होने के पश्चात पीयूसी तथा पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के उक्त समय-विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से अतिरिक्त किसी और समय-विस्तार का अनुरोध पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा।

32. समय बढाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उक्त पैराग्राफ में उल्लिखित मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ङ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

33. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्ष्ाकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्ष्ाकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

34. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

35. ऐसी अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

36. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

37. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

38. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

39. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

40. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।

41. गोपनीयता के दावे के संबध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ण. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

त. <u>**असहयोग**</u>

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जॉच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी